

DD-925

LL. B. (Part III) (Second Semester)

EXAMINATION, 2020

Paper First

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
AND EASEMENT ACT, 1882

Time : Three Hours

Maximum Marks : 100

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खण्ड 'अ' से चार प्रश्न एवं खण्ड 'ब' से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt *five* questions in all. Answer *four* questions from Section A and *one* question from Section B. All questions carry equal marks.

खण्ड—अ

(Section—A)

1. ऐसी सम्पत्तियों का उल्लेख कीजिए जिनको सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के अन्तर्गत अंतरित नहीं किया जा सकता।

State the properties which cannot be transferred under the Transfer of Property Act.

P. T. O.

2. सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में कितने प्रकार के बंधकों का उल्लेख किया गया है ? समझाइए।

What are the different kinds of the mortgages mentioned in Section 58 of the Transfer of Property Act ? Explain.

3. विनिमय के दोनों पक्षों के अधिकार तथा कर्तव्यों की विवेचना कीजिए।

Discuss rights and liabilities of parties to an exchange.

4. विक्रय को परिभाषित कीजिए। क्रेता एवं विक्रेता के अधिकार एवं दायित्व क्या हैं ?

Define sale. What are the rights and liabilities of Buyer and Seller ?

5. पट्टा से आप क्या समझते हैं ? एक पट्टे की समाप्ति के विभिन्न तरीकों को समझाइए।

What do you understand by Lease ? Explain the various modes of termination (determination) of a Lease.

6. किन सम्पत्तियों का अंतरण किया जा सकता है ?

What properties can be transferred ?

7. निर्वाचन का सिद्धान्त समझाइए।

Explain the doctrine of election.

खण्ड—ब

(Section—B)

8. प्रथागत सुखभोग और चिरभोग में क्या अन्तर हैं ?

What is the difference between easement and prescription ?

9. चिरभोगाधिकार द्वारा सुखाधिकार प्राप्त करने की विभिन्न शर्तों को समझाइए।

Explain the various conditions to acquire easement by prescription.

10. एसोशिएटेड होटल ऑफ इण्डिया विरुद्ध आर. एन. कपूर, A. I. R. 1962, S.C. 1262 के तथ्यों का उल्लेख करते हुए विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।

State the facts and principles of law laid down in Associated Hotel of India vs. R. N. Kapoor, A. I. R. 1962, S. C. 1262.